सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **15 / 2018** अपील **(राजस्व)**

1. श्री दूदा पिता नन्दा गाडरी, निवासी मावली डांगीयान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती काली पत्नी उदा गाडरी, निवासी मावली डांगीयान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
2. श्रीमती खीमा बाई बेवा नन्दा जी गाडरी, निवासी मावली डांगीयान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम बनाराजगी निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर के नामान्तरकरण संख्या 794 बनिर्णय दिनांक 09.02.2018

उपस्थितः (1) श्री नरेश चन्द्र जणवा अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः— 13.08.2019

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर नामान्तरकरण संख्या 794 दिनांक 09.02.18 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली डांगीयान तहसील वल्लभनगर में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि नन्दा पिता भेरा जी डांगी की मृत्यु के बाद विरासत से दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट सं.2 अपीलान्ट की गोद माता है। अपीलान्ट के गोद पिता की मृत्यु होने के बाद राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई । जो भूमि पैतृक होकर अविभाजित है और अन्य सहखातेदारों के साथ में अपीलान्ट काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। इसी दरमियान अपीलान्ट की गौद माता रेस्पोडेन्ट सं. 2 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जालसाझी कर नुमाईशी रूप से विक्रय करने पर आमादा हुई, तो अपीलान्ट द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में पेश किया गया, जो विचाराधीन है और इसी दरमियान वहां पर अस्थगत आदेश भी जारी किया था, बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट सं.2 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जिसका स्थगन आदेश होने से नामान्तकरण तस्दीक नहीं हुआ, जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर में कर रखी है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी स्थगन होते हुए भी विवादित भूमि का नामान्तकरण खोल दिया गया। रेस्पोडेन्ट सं.2 को विक्रय पत्र निस्पादन करने का कोई अधिकार नहीं था। नुमाईशी विक्रय विलेख पत्र से भूमि हस्तान्तरित कर दी। पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं को अपने पति की सम्पति का सिर्फ उपयोग उपभोग करने का अधिकार है, उसे रहन, वैह, बक्षीस या किसी तरह का हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट स्वर्गीय नन्दा जी का उत्तराधिकारी है। अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 08.06.18 को हुई जिस पर नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का तस्दीक नामान्तकरण सं. 794 दिनांक 09.02.18 को निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारानो को जरिये नोटिस से तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित रहें। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 15.07.19 को अमल में लाई गई। तामील, नोटिस संलग्न पत्रावली है। उपस्थित विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो के आधार पर सविस्तार बहस की गई। बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 अपीलान्ट की गोद माता है। जिसके द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में भूमि का विक्रय कर दिया गया। जबकि इस वादग्रस्त भूमि का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। जहां से इस भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने स्थगन आदेश के अपीलीय नामान्तकरण खोला जाकर प्रमाणित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के दौरान खोला गया नामान्तकरण प्रभावहीन होकर शून्य है ऐसे नामान्तकरण को कानूनन देखा नही जा सकता है। उक्त भूमि मेरी गोद माता को मेरे गोद पिता की मृत्यु होने से विरासत से प्राप्त हुई। जिस पर भोतिक रूप से उनका कभी कब्जा नहीं रहा। कब्जा नहीं होने से उनका कोई हक हित अधिकार नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में भी पैतृक सम्पत्ति में महिलाओ को अपने पति की सम्पति का सिर्फ उपयोग उपभोग करने का अधिकार है, उसे रहन, वैह, बक्षीस या किसी तरह का हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि दर्ज कराना फरमावे। अपनी बहस की ताईद में आर.आर.डी. 2006 पेज 128 आर.आर.टी. 2003(1) पेज 547 की नजीरे प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में उपस्थित विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया। उनके द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन निर्देशों के साथ में पारित किया गया है कि न्यायालय स्थगन खारिज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार स्वीकृत दिनांक 09.02.18 को नामान्तकरण पारित किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 17.07.18 को स्थगन जारी किया गया। यानि की अपीलीय नामान्तकरण का दौराने स्थगन नहीं खोला गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है। खातेदार होने से ही उसके द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज से भूमि विक्रय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैध दस्तावेज के आधार पर ही नामान्तरकरण खोला गया है। यानि की अपीलीय नामान्तकरण स्थगन के

दौरान नहीं खोला है एवं वैध दस्तावेज के आधार पर ही खोला गया है। वैध दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को शून्य व निष्प्रभावी नहीं कह सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण दर्ज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित ग्राम मावली डांगीयान के नामान्तकरण संख्या 794 निर्णय दिनांक 09.02.18 में किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की गुंजाईश नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील साबित नहीं होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर